तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14|8|23	अपीलान्ट के पुत्र श्री विजयसिंह उपस्थित। प्रार्थी विजय सिंह S/O गिरजि के द्वारा प्रा० पत्र के साथ अपने पिता अपीलान्ट गिरजि का एक साथ का आधार कार्ड पेश किया तथा अपील का न्यायालय द्वारा के जारी रजि० नोटिस क्रमांक 609 दिनांक 12.7.23 की प्रति पेश कर अवगत कराया कि मेरे पिता यानि अपीलान्ट गिरजि काफी बुजुर्ग है और बीमार है चल फिर नही सकते इसलिये मै अपीलान्ट का पुत्र की हैसियत से इस अपील मे कोई कार्यवाही नही चाहता इस अपील को बन्द कराना चाहता हुं आगे नही चलाना चाहता। प्रार्थी के कथनो का सरपंच आलमशाह पं. स. नगर के द्वारा प्रा. पत्र पर हस्ताक्षर अंकित कर प्रमाणित किया गया। प्रार्थी ने अपने कथनो की ताईद मे आदेशिका पर हस्ता० अंकित किये। जब स्वयं अपीलान्ट के पुत्र के द्वारा प्रा. पत्र प्रस्तुत कर अपील को आगे नही चलाने की मंशा जाहिर की है तथा सरपंच आलमशाह के द्वारा प्रार्थी के कथनो की ताईद की है और पूर्व मे अपीलान्ट के वकील के द्वारा कोई हिदायत पैरवी नही होना जाहिर किया है तो अब ऐसी स्थिति मे इस अपील को आगे चलाए जाने का कोई औचित्य नही रहता है। लिहाजा यह अपील बिना गुणावगुण पर विचार किये इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। 14/8/2023

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर